

11.7.22 मतावली पेश हुई। वकील महानाशन आखिर
 प्रार्थनों व अपाथियों को अज्ञातकम समय तक
 बाहर आवाज लगावाई गई। लेकिन कोई
 आखिरकारी हुए हैं और मा-प्री परमाप्त अवसर
 दिने जाने पर प्रार्थी वकील द्वारा अपाथियों को
 तलबी हेतु तलवाना मोटिस पेश नहीं किया गया है।

अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थनापत्र अक्टूबर 2022-
 23 रा. प्री के परमाप्त अवसर दिने जाने पर भी अपाथी
 गणों को तलबी हेतु तलवाना मोटिस पेश नहीं करने
 के अभाव में अक्टूबर आदेश 09 नियम 05 के
 तहत कोरिज किया जाता है मतावली मामल शुमार
 होना अक्टूबर से काम होना दालिल दफ्तार हो
 निर्णय बुलेना प्रालम में सुनाया गया


 उपनिर्देश अधिकारी
 साबर लोक